प्रेषक, सख्या–176 / सत्तर–1–2019–15(32) / 81

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी / कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 09 मार्च, 2019

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की परीक्षा सम्बन्धी कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परीक्षा सम्बन्धी कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश संख्या–176 / सत्तर–1–2019–15(32) / 81 दिनांक–29 मार्च, 2011 द्वारा निर्धारित परीक्षा सम्बन्धी कार्यों की पारिश्रमिक दरों को पुनरीक्षित करते हुए इस शासनादेश के साथ संलग्न सूची के स्तम्भ–4 के अनुसार दरों का निर्धारण किये जाने की स्वीकृति इस इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पुनरीक्षित दरों के फलस्वरूप होने वाला व्यय–भार विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इस कार्य हेतु कोई भी वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।

2– उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या–176 / सत्तर–1–2019–15(32) / 81 दिनांक–29 मार्च, 2011 एवं इसमें सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11–273 / दस–2019 दिनांक–09 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या–176(1) / सत्तर–1–2019–तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया

पत्रांक– जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0(आर0कैम्प) / 221 / 2019 / दिनांक – 03.04.2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ हेतु प्रेषितः–

1. प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
2. समन्वयक, केन्द्रीय मूल्यांकन, परीक्षा वर्ष 2018–19

(संजय कुमार)
कुलसचिव

Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या–176 / सत्तर–1–2019–15(32) / 81 दिनांक : 09 मार्च, 2019 का संलग्नक:–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परीक्षा सम्बन्धी कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण।

क0	मद	वर्तमान दर (रू0 में)	पुनरीक्षित दर (रू0 में)
1	2	3	4
1	**परीक्षा केन्द्रों का पारिश्रमिक**		
	1–कक्ष निरीक्षक	90.00	120.00
	2–सहायक केन्द्राध्यक्ष	100.00	130.00
	3– केन्द्राध्यक्ष	105.00	145.00
2	**केन्द्र व्यय (सेन्टर चार्जेस)**		
	1–तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रति परीक्षार्थी)	8.00	15.00
3	**प्रायोगिक परीक्षा**		
	1–प्रयोगशाला सहायक (प्रति दिन)	23.00	30.00
	2–प्रयोगशाला परिचर	15.00	20.00
4	**उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन**		
	1–स्नातक (प्रति पुस्तिका)	15.00	20.00
	2–परा स्नातक (प्रति पुस्तिका)	18.00	25.00
5	**प्रश्न–पत्र बनाना**		
	1–स्नातक	600.00	800.00
	2–परास्नातक	900.00	1200.00
6	**उड़न दस्ते के सदस्यों का पारिश्रमिक**		
	1–प्रति सदस्य (प्रति दिन आन्तरिक)	90.00	120.00
	2–प्रति सदस्य (प्रति दिन वाहय)	90.00	120.00
7	**पी0एच0डी0 / डी0लिट0 की थीसिस पढ़ने व मौखिक परीक्षण**		
	1–पीएच0डी0 (थीसिस पढ़ना)	750.00	1000.00
	2– पीएच0डी0 (मौखिक परीक्षण)	600.00	900.00
	3–डी0लिट0(थीसिस पढ़ना)	1050.00	1400.00
	4–डी0लिट0(मौखिक परीक्षण)	750.00	1000.00
8	**प्रायोगिक परीक्षा**		
	1–स्नातक / बी0एड0 (प्रति छात्र)	12.00	16.00
		450.00 (न्यूनतम)	600.00 (न्यूनतम)
	2–स्नातकोत्तर (प्रति छात्र)	18.00	25.00
		600.00 (न्यूनतम)	900.00 (न्यूनतम)
9	**लघु शोध मूल्यांकन (प्रत्येक)**	60.00	80.00

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

s.o/g.o-2/c-3

Scanned by CamScanner